बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

सख्या :– गव्य (राज.पत्र.–01) 01/2026. –..... विभाग एवं तीनों निदेशालयों के स्तर पर लंबित ए.सी./डी.सी. एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गव्य विकास निदेशालय के लंबित ए.सी./डी.सी. विपत्रों में से श्री उमेश प्रसाद, सेवानिवृत जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मार्च 2025 में ₹ 3,88,39,100/–(तीन करोड़ अठासी लाख उनचालीस हजार एक सौ रूपये मात्र) की अग्रिम राशि की निकासी की गयी, परंतु उक्त से संबंधित डी.सी. विपत्र विभाग को प्रेषण नहीं होने की वजह से उपयोगिता प्रमाण–पत्र अबतक लंबित है।

उक्त निकासी की गयी अग्रिम राशि के विरूद्ध लंबित डी.सी. प्रेषण किये जाने का निदेश गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 1036, दिनांक 03.07.2026 द्वारा श्री राजेश कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया। वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण स्मार पत्रांक 1174, दिनांक 20.07.2026, स्मार पत्रांक 1349, दिनांक 14.08.2026 एवं स्मार पत्रांक 1421, दिनांक 27.08.2026 से जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को स्मारित भी किया या, परंतु श्री कुमार के द्वारा न तो लंबित डी.सी. का विपत्र उपलब्ध कराया गया और न ही जिला गव्य विकास कार्यालय, मधेपुरा से संबंधित योजनाओं का सार विपत्र को डी.सी. विपत्र करने एवं अग्रिम राशि का समायोजन करने के संबंध में कार्रवाई या प्रयास करने में कोई अभिरूची दिखाई गयी।

श्री कुमार के उक्त कृत्य के लिये गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 1367, दिनांक 19.08.2026 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त आलोक में श्री कुमार के द्वारा पत्रांक 397, दिनांक 01.09.2026 से समर्पित स्पष्टीकरण में अपने कर्तव्य दायित्वों से बचने एवं निदेशक, गव्य के संबंध में उनके प्रति अज्ञात कारणों से अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने की मंशा रखने का उल्लेख किया गया।

गव्य निदेशालय के द्वारा प्रेषित उक्त विभिन्न पत्रों के उपरांत भी श्री कुमार के द्वारा मामले में अभिरूचि लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने के पश्चात लंबित ए०सी०/डी०सी० विपत्र की मामले की गंभीरता को दृष्टिपथ में रखते हुए निदेशक, गव्य के द्वारा द्विसदस्यीय कमिटी गठित की गयी। उक्त गठित कमिटी द्वारा दिनांक 02.09.2026 को जिला गव्य विकास कार्यालय, मधेपुरा में भौतिक रूप से उपस्थित हो कर वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना अन्तर्गत निकासी की गयी अग्रिम राशि के समायोजन को लंबित रखने के मामले की जाँच की गयी। जाँचोंपरांत समर्पित प्रतिवेदन पत्रांक 104, दिनांक 03.09.2026 में प्रतिवेदित किया गया कि उक्त डी०सी०विपत्र प्रेषण के संबंध में वर्तमान जिला गव्य विकास

पदाधिकारी, मधेपुरा श्री राजेश कुमार के द्वारा कार्यालय प्रधान होने के नाते कार्यालय की योजनाओं का सार विपत्र को डी०सी० विपत्र करने एवं अग्रिम राशि का समायोजन कराये जाने के संबंध में न तो कोई कार्रवाई की गयी और न ही कोई प्रयास करने में रूची दिखाई गयी। जाँच कमिटी के साथ उनके द्वारा कोई सहयोग भी नहीं किया गया तथा टाल मटोल एवं शब्दों के जाल में जाँच दल को उलझाने का प्रयास किया गया।

उक्त के पश्चात् श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 01.09.2026 की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार का उक्त कृत्य वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं विभागीय कार्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है। उक्त के आधार पर श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

उक्त आलोक में श्री राजेश कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) में वर्णित प्रावधान के तहत् श्री राजेश कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

1. निलंबन अवधि में श्री कुमार को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।
2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय ***क्षेत्रीय गव्य विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर*** में निर्धारित किया जाता है।
3. उक्त आरोप के लिए श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– गव्य (राज०पत्र०–01) 01/2026– ...../पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– गव्य (राज०पत्र०–01) 01/2026– ...../पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– गव्य (राज.पत्र.–01) 01/2026– 530 नि०जा०/पटना–15, दिनांक– 15/10/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, गव्य/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, गव्य, भागलपुर/मुजफ्फरपुर/जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा/मुजफ्फरपुर/श्री राजेश कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति निलंबित ***निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय क्षेत्रीय गव्य विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर/***प्रशाखा पदाधिकारी–1/विभागीय आई.टी. प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.10.26

सरकार के संयुक्त सचिव।